फाइल नं0-71-1001(099)/157/2021

154/2023/I/440620/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 05 दिसम्बर, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेजों यथा-आगरा , झांसी , कानपुर , मेरठ , प्रयागराज तथा गोरखपुर एंव हृदय रोग संस्थान , कानपुर एंव जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर में ई-हास्पिटल प्रणाली के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2023-24/373, दिनांक 14.11.2023 के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-7/2020/2482/71-1-2020-जी-89/2017, दिनांक 03.02.2020 द्वारा स्वीकृत परियोजना की मूल लागत रू0 31,51,27,608.45 में एल-1 घोषित फर्म मे0 इन्सप्रा इण्टरप्राइजेज लि0 नई दिल्ली द्वारा ई निविदा में कोट की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 5,67,22,969.52 को सम्मिलित करते हुए प्रश्नगत परियोजना की मूल लागत को संशोधित कर पुनरीक्षित लागत रू0 37,18,50,577.97 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

2- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 14.11.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज यथा-आगरा, झांसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज तथा गोरखपुर एंव हृदय रोग संस्थान, कानपुर एंव जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर में ई-हास्पिटल प्रणाली के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 2,18,67,616/- (रू0 दो करोड़ अट्ठारह लाख सरसठ हजार छः सौ सोलह मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1- मे0 इन्स्प्रा इंटरप्राइजेज, नई दिल्ली के अनुबन्ध पूर्व निर्धारित दरों व शर्तो के अधीन 03 माह (दिनांक 13.10.2023 से 10.01.2024 तक) विस्तार की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महानिदेशक , चि0शि0 फर्म के कार्यो की गुणवत्ता एंव संचालन के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो लेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,18,67,616 (रुपये दो करोड़ अठारह लाख सड़सठ हजार छह सौ सोलह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031051500 राजकीय मेडिकल कालेजों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना मानक मद 46 कम्प्यूटर हार्डवेयरसाफ्टवेयर का क्रय/ के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप-संख्या-2 / 2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, यथा-आगरा, झांसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर।
4. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर एंव जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, यथा-आगरा , झांसी , कानपुर, मेरठ , प्रयागराज, गोरखपुर।
6. वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर एंव जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा , झांसी , कानपुर , मेरठ , प्रयागराज तथा गोरखपुर, कानपुर
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in